सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद- आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 15.07.2025

जनपद आजमगढ़

01.थाना-पवई:- एक अदद अवैध तमंचा व 02 अदद कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.07.25 को वादी उ0नि0 शिवसागर यादव थाना पवई आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों 1.राहुल बिन्द पुत्र धनपाल बिन्द निवासी हेवती थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2. अजीत कुमार पुत्र लल्लन निवासी भिरौली लच्छन थाना सरपतहा जनपद जौनपुर कोग्राम मैगना नहर पटरीसे समय करीब 08.25 बजे 01 अदद नाजायज कट्टा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 196/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 02 नफर के विरुद्धपंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 196/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहासः-

राहुलबिन्दपुत्रधनपाल बिन्द निवासी हेवती थाना पवई जनपद आजमगढ़

1.मु0अ0सं0 196/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ

2. मु0अ0सं0 275/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ

अजीतकुमारपुत्रलल्लननिवासीभिरौलीलच्छनथानासरपतहाजनपदजौनपुर

मु0अ0सं0 196/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई, जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

01. उ0नि0 शिवसागर यादव, थाना पवई, जनपद आजमगढ
02. उ0नि0सन्तोष कुमार यादव,थाना पवई, जनपद आजमगढ
03. उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा,थाना पवई, जनपद आजमगढ
04. का0 अनुराग कुमार, थाना पवई, जनपद आजमगढ
05. का0 रजनीशकुमारशुक्ला,थाना पवई, जनपद आजमगढ
06. का0 शहबाज अहमद,थाना पवई, जनपद आजमगढ

02.थाना-सरायमीरः-युवती के साथ मारपीट व छेडखानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

***घटना का संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 14.05.2025 को वादिनीद्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया किअभियुक्तों01.अंगद पुत्र अच्छेलाल,निवासी ग्राम कोल्हुवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 02.मिथलेश पुत्र सूरजबली निवासी ग्राम कोल्हुवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 03. सोनूराम पुत्र सुरेश राम निवासी मीरपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के घर आकरवादिनी की नाबालिक पुत्री तीनों पकडकर गाली-गुप्ता व मारने पीटने लगे तथा उसका कपड़ा भी फाड दिया तथा हाथ पकडकर घसीटने व तीनों द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुये भाग जाया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर 196/25 धारा 76/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 03 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 14.07.2025 को उ0नि0 राजकुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अंगद पुत्र अच्छेलाल,निवासी ग्राम कोल्हुवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ कोअभियुक्त के गाँव ग्राम कोल्हुआ सेसमय करीब 07.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 196/2025 धारा 76/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजकुमार यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. का0 का0 मुन्दन कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

03.थाना-रानी की सराय:- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 12.07.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया कि अभियुक्त सर्वेश पुत्र लालसा निवासी ग्राम टेकमलपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी को अपने प्रेम जाल से फसा कर शादी करने का झांसा देकर जबरन शारिरिक सम्बन्ध बनाया गया, तथा बाद में शादी करने से मना कर दिया तथा धमकी दिया कि घटना का जिक्र कही करोगी तो बुरा होगा।जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 215/2025 धारा 69/89/352/351(3) BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारीकीविवरण-

दिनांक 13.07.2025 को उ0नि0 सूरज तिवारी मय हमराहद्वारामुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त वांक्षित अभियुक्तसर्वेश पुत्र लालसा निवासी ग्राम टेकमलपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को ग्राम खैरपुर जगजीवन नहर पुलिया के पास समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृतअभियोग-

01. मु0अ0स0 215/2025 धारा 69/89/352/351(3) BNS थाना रानी की सराय आजमगढ

गिरफ्तारअभियुक्त–

01. सर्वेश पुत्र लालसा निवासी ग्राम टेकमलपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारकरनेवालीपुलिसटीम-

01. उ0नि0 सूरज तिवारी, थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

02. का0 धीरज पटेलथाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

04.थाना-पवई:- चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त चोरी के एक अदद मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 04.06.25 को आवेदक/वादी ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी पुत्र सूर्यमणी त्रिपाठी निवासी खेमीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के द्वारा आनलाईन ई एफआईआर पंजीकृत कराया गया जिसमें उनके घर के बरामदे से अज्ञात चोर द्वारा मोबाइल चोरी कर लेने सम्बन्धी आरोप अंकित किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 168/25 धारा 305(ए) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना CEIR पोर्टल से प्राप्त ट्रैसबिलिटी रिपोर्ट, सब्सक्राईबर डिटेल व फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी/साक्ष्य संकलन के आधार पर 1. पुनीत कुमार पुत्र समारु राम निवासी सुरिस थाना शाहगंज जनपद जौनपुर 2.अर्जुन साहनी पुत्र देनी साहनी निवासी ग्राम विशुन पुर पट्टी थाना साहेबगंज जनपद मुजफ्फरपुर राज्य बिहार का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त पुनीत कुमार को दिनांक 02.07.25 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं आज दिनांक 14.07.25 को अभियुक्त अर्जुन साहनी उपरोक्त की गिरफ्तारी की गयी एवं अभियुक्त अर्जुन साहनी के कब्जे से चोरी गये मोबाइल रेडमी 9 की बरामदगी की गयी एवं धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 14.07.25 को उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अर्जुन साहनी पुत्र देनी साहनी निवासी ग्राम विशुन पुर पट्टी थाना साहेबगंज जनपद मुजफ्फरपुर राज्य बिहार को ग्राम खेमीपुर नहर पटरी के पास से समय करीब 10.30बजे गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये मोबाइल रेडमी 9 को बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 168/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना पवई आजमगढ़

बरामदगी विवरण-

अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये मोबाइल रेडमी 9 को बरामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली थाना पवई की टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 संतोष कुमार यादवथाना पवई आजमगढ़
2. का0 अशफाक अंसारीथाना पवई आजमगढ़
3. का0 विकास कुमारथाना पवई आजमगढ़

05. साइबर थाना- जनपद आजमगढ

आजमगढ़ पुलिस द्वारा फर्जी सूचना आयोग का अधिकारी बनकर राज्य के विभिन्न ग्रामप्रधानों से लगभग लाखों की ठगी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार , 02 मोबाइल फोन व 3200 रुपये नगद बरामद।

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में साइबर अपराध पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में दिनांक- 13.07.2025 को थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा सूचना आयोग का अधिकारी बनकर राज्य के विभिन्न ग्राम प्रधानों से लाखों का ऑनलाइन ठगी करने वाला 01 अभियुक्त 02 अदद मोबाइल फोन व 3200 रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया।

<u>पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनांक 26.10.2024 को वादी मुकदमा मो0 आरिफ खाना निवासी ग्राम गोछा थाना मुबारकपुर प्रधानपति द्वारा तहरीर दिया गया कि उनके साथ फर्जी राजभवन का सेक्रेटरी र हर्षवर्धन सिंह राठौर (IAS) बनकर एक व्यक्ति द्वारा 826995/- रुपये का फ्राड कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 41/2024 धारा 318(4),319(2), 317 बीएनएस व 66सी, 66डी आईटी एक्ट बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्त पंकज यादव पुत्र रामलखन यादव का नाम प्रकाश में आया।

<u>अपराध करने का तरीकाः-</u>

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूँछताछ में बताया गया कि इन्टरनेट से NIC के वेबसाइट से ग्राम प्रधानों व पूर्व प्रधानों की सूची निकालकर सम्पर्क करता हूँ| जनसूचना अधिकारी व सचिवालय अधिकारी व राजभवन का फर्जी सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंह राठौर (IAS) बनकर उनको कॉल करता था तथा उनके खिलाफ भ्रष्ट्राचार व जांच आदि के आरोप लगाकर डरा धमकाकर उनसे अपने खाते तथा बताये गये जनसेवा केंद्र के खातों में पैसा मंगा लेता हूँ। वर्ष 2024 जून मे मैने इसी प्रकार फर्जी राजभवन का सेक्रेटरी बनकर आजमगढ़ के ग्राम गोछा के प्रधान आरिफ खान को फोन किया व बताया कि आपके गांव के कई लोगों द्वारा आपकी शिकायत की गयी है जिसकी जांच हो रही है। प्रधान द्वारा बताया गया कि आप आकर जांच कर लिजिए तो मैने बाद मे उसको बताया कि आप सही हो सकते हो लेकिन आपके निधि मे धनराशी कम है। आपके खाते मे कुल पैतालीस लाख, बयालीस लाख नब्बे हजार व पन्द्रह लाख चालीस हजार भेजे जा रहे है तथा मैने सरकारी टैक्स के नाम पर गुमराह कर फर्जी तरीके से उनसे अपने बैंक खाते में 826995/- रुपये जमा करा लिए | इस तरह से कई प्रधानो के साथ मैंने फ्राड किया।

<u>गिरफ्तारी का विवरण /घटना का अनावरणः-</u>

साइबर क्राइम थाना आजमढ़ के मु0अ0सं0 41/2024 धारा 318(4),319(2), 317 बीएनएस व 66सी, 66डी आईटी एक्ट की विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त पंकज कि गिरफ्तारी हेतु घर पर दबिश दिया गया जिसके उपरान्त यह विभिन्न राज्यों में जगह बदल-बदल कर रहने लगा था तथा पुलिस के डर से अपने मर जाने की सूचना फैलाई व मृतक अवस्था की फोटो खिंचवाकर गांव घर व जानने पहचानने वालो के साथ साथ पुलिस को भेजवाया गया था | पुलिस द्वारा अभियुक्त अभियुक्त को रानी की सराय सेमरहा अण्डर पास के पास सर्विस लेन से गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-</u>

पंकज यादव पुत्र रामलखन यादव निवासी 35 रामसनेही घाट नाथूपुर सूरजपुर थाना असन्द्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश उम्र करीब 32 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

01. 2 मोबाइल फोन

02. 3200/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01. प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह साइबर थाना जनपद आजमगढ़।

02. उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद यादव साइबर थाना जनपद आजमगढ़।

03. का0 विशाल यादव साइबर थाना जनपद आजमगढ़।

04.का0 एजाज खान साइबर थाना जनपद आजमगढ़।

05.का0 सभाजीत मौर्य साइबर थाना जनपद आजमगढ़।

06.का0 महिपाल यादव साइबर थाना जनपद आजमगढ़।

जनपद –मऊ

01.ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व ₹15,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 10-07-2025 को मु0अ0सं0 267/1995 धारा 419, 420, 467, 468, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध अभियुक्त हौशला सिंह पुत्र बेचन सिंह निवासी खर्ज़ूरामपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹15,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह (पीओ), तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी आशीष कुमार थाना कोतवाली नगर का सराहनीय योगदान रहा।

जनपद – बलिया

01. थाना दोकटी जनपद बलिया पुलिस द्वारा 02 अदद गुम हुए मोबाइल फोन को किया गया बरामद। मोबाइल स्वामीगण ने दोकटी पुलिस टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए दिया धन्यवाद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर CEIR पोर्टल के माध्यम से दर्ज मोबाइल गुमशुदगी की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय श्री कृपा शंकर के पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बैरिया महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना दोकटी को मिली सफलता। उल्लेखनीय है कि आवेदकगण का मोबाइल बाजार जाते समय व कार्य करते समय कहीं गुम हो गया था जिस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपने मोबाइल की गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी, जिसके उपरान्त थाना दोकटी पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल पर दर्ज कराया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 14.07.2025 को थाना दोकटी के

पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल पर रन कराये गये गुमशुदा मोबाइल को थाना क्षेत्र से बरामद कर मोबाइल स्वामियों को नियमानुसार पुलिस टीम द्वारा सुपुर्द किया गया।

02.थाना रसड़ा जनपद बलिया पुलिस द्वारा गौ-तस्करी से सम्बंधित 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद पिकप वाहन में लदे 15 राशि गोवंश (गाय/साड़), 01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतुस एवं 01 अदद प्लास्टिक की बोरी से रस्सी बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अनिल कुमार झा के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी रसड़ा श्री आलोक कुमार गुप्ता के कुशल नेतृत्व में थाना रसड़ा पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 14.07.2025 को उ0नि0 शिवमूर्ति यादव मय हमराह के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान मुखबिर की सूचना पर सरायभारती से अभियुक्तगण 1. संदीप यादव पुत्र परमानंद यादव निवासी ग्राम सरायभारती रामबारी थाना रसड़ा जनपद बलिया, 2. अमरनाथ कुशवाहा पुत्र श्री मनोहर कुशवाहा निवासी सिधौत थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर को समय करीब 03.35 बजे को हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01पिकप वाहन में लदे 15 राशि गोवंश (12 राशि गाय व 03 राशि साड़) को बरामद किया गया तथा अभियुक्तगण उपरोक्त तलाशी से अभियुक्त संदीप यादव के पास से एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। इस घटना में संलिप्त 02 अन्य अभियुक्त 1. परमानन्द यादव पुत्र स्व0 वंशी यादव, 2. मुलायम यादव पुत्र कन्हैया यादव निवासीगण ग्राम सराय भारती डाडेपर थाना रसड़ा जनपद बलिया अँधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। घटना में संलिप्त चारों अभियुक्तों के विरूद्ध थाना रसड़ा जनपद बलिया पर मु0अ0सं0 267/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मौके से गिरफ्तार अभियुक्तगण संदीप यादव व अमरनाथ कुशवाहा उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया तथा बरामद पिकप वाहन को नियमानुसार अन्तर्गत धारा 207 MV Act में कार्यवाही की गयी।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 267/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रसड़ा जनपद बलिया।

बरामदगी-

1. 15 राशि गोवंश (12 राशि गाय व 03 राशि साड़)
2. 01 अदद पिकप, वाहन सं0 UP 61 AT 1429
3. 01 अदद नाजायज तमंचा 0.315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस
4. एक प्लाटिक की बोरी में रस्सी बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. संदीप यादव पुत्र परमानंद यादव निवासी ग्राम सरायभारती रामबारी थाना रसड़ा जनपद बलिया।
2. अमरनाथ कुशवाहा पुत्र श्री मनोहर कुशवाहा निवासी सिधौत थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर।

03. थाना नरही जनपद बलिया पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 बोरी में अवैध देशी शराब बण्टी-बबली कुल मात्रा 18 ली0 बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाये जा रहा है अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया, क्षेत्राधिकारी सर्किल सदर बलिया के कुशल पर्यवेक्षण व प्र0नि0 नरही नदीम अहमद फरीदी के नेतृत्व में आज दिनांक 14.07.2025 को थाना नरही पुलिस टीम के उ0नि0 श्री श्याम प्रकाश मिश्र मय हमराह हे0का0 अजय कुमार भारती व निर्भय सिंह के मय सरकारी वाहन यू0पी0 32 ईजी 6067 के रवाना शुदा रो0आम तारीखी इमरोजा से बाद देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन कि जरिए मुखबीर सूचना पर भरौली पुल बहद ग्राम भरौली से 02 नफर अभियुक्तगण 1-सोनू पुत्र करीम राजा निवासी नेहरूनगर वार्ड नम्बर 20 थाना टाउन जनपद बक्सर, बिहार उम्र करीब 24 वर्ष 2-मो0 राजा पुत्र मजहर अली निवासी रामरेखाघाट वार्ड नं0 12 थाना टाउन जनपद बक्सर, बिहार उम्र करीब 22 वर्ष को 02 बोरी में अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों बोरी की जामा तलाशी में प्रत्येक बोरी में 45 -45 पाउच, प्रत्येक पाउच 200 ML कुल 18 लीटर बण्टी बबली अवैध देशी शराब बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 169/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

बरामदगीः-

1. 02 बोरी में प्रत्येक बोरी में 45 -45 पाउच, प्रत्येक पाउच 200 ML कुल 18 लीटर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सोनू पुत्र करीम राजा निवासी नेहरूनगर वार्ड नम्बर 20 थाना टाउन जनपद बक्सर बिहार।
2. मो0 राजा पुत्र मजहर अली निवासी रामरेखाघाट वार्ड नं0 12 थाना टाउन जनपद बक्सर बिहार

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 169/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम